सेशन प्रकरण संख्याः– 73/2013
राज्य बनाम पीरसिंह वगैरह
दिनांकः– 12.05.2026

न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण, बालोतरा) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी	नीरज भामू
नियमित फौजदारी सी.आई.एस. नंबर	56/2014
नंबरी फौजदारी प्रकरण	सेशन प्रकरण संख्याः– 73/2013
सी.एन.आर. नंबर	RJBA010006312013
एफ.आई.आर. संख्या व पुलिस थाना	02/07.01.2013 पुलिस थाना, सिवाना

राजस्थान राज्य बनाम पीरसिंह वगैरह

अपराध अंतर्गत धारा 459, 323, 325, 307 भादसं व 3(i)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट

परिवादी का नाम	अमराराम
अधिवक्ता परिवादी/लोक अभियोजक	अधिवक्ता श्री बाबुलाल मेघवाल परिवादी की ओर से व श्री माधोसिंह चारण, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व विवरण	1. पीरसिंह पुत्र तेजसिंह, उम्र 61 साल, निवासी रमणिया, पुलिस थाना सिवाना, जिला बालोतरा । 2. टीकमसिंह पुत्र बस्तीसिंह, उम्र 56 साल, निवासी सिलोर, पुलिस थाना समदड़ी, जिला बालोतरा । 3. राणसिंह पुत्र हमीरसिंह, उम्र 56 साल, निवासी रमणिया, पुलिस थाना सिवाना, जिला बालोतरा । 4. रामसिंह पुत्र बांकीदान, उम्र 43 साल, निवासी निम्बलाना, पुलिस थाना बिशनगढ़, जिला जालोर ।
अधिवक्ता अभियुक्त	अधिवक्ता श्री खेतसिंह महेचा अभियुक्तगण पीरसिंह, राणसिंह व रामसिंह की ओर से तथा अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ अभियुक्त टीकमसिंह की ओर से ।
एफआईआर की दिनांक	07.01.2013
चालान पेश करने की दिनांक	14.11.2013
आरोप लगाने की दिनांक	14.09.2016
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	11.11.2016 से 22.01.2026
बचाव साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	16.02.2026 से 06.04.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया हो	12.05.2026
निर्णय दिनांक	12.05.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो तो	

सेशन प्रकरण संख्याः– 73/2013
राज्य बनाम पीरसिंह वगैरह
दिनांकः– 12.05.2026

अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन पक्ष के साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी सीक्ष, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
पी.ड. 01	सांवलराम	फर्द बरामदगी मौतबीर
पी.ड. 02	खंगाराम	फर्द गिरफ्तारी मौतबीर
पी.ड. 03	मालाराम	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 04	मेघाराम	आहत गवाह
पी.ड. 05	तगाराम	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.ड. 06	सौरभ कुमारी	आहत गवाह
पी.ड. 07	अमराराम	परिवादी
पी.ड. 08	डॉ. शिवदत्त बोड़ा	चिकित्सकीय साक्षी
पी.ड. 09	मोहनलाल	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 10	भटाराम	आहत गवाह
पी.ड. 11	प्रेम कुमार	मालखाना इंचार्ज
पी.ड. 12	लक्ष्मणसिंह	वजह सबूत एफएसएल में जमाकर्ता
पी.ड. 13	बहादूरसिंह	गवाह
पी.ड. 14	सुमेरसिंह	आरोप–पत्र पेशकर्ता
पी.ड. 15	मालाराम	फर्द जब्ती पारचात मौतबीर
पी.ड. 16	विशनाराम	फर्द जब्ती पारचात मौतबीर
पी.ड. 17	छतरसिंह	मोबाईल कंपनी गवाह
पी.ड. 18	पृथ्वीराज मीणा	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 18(1)	महेन्द्र कुमार	फर्द गिरफ्तारी मौतबीर
पी.ड. 19	नाथुसिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 20	अमृतलाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 21	रामेश्वरलाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 22	डॉ. विकास जोशी	चिकित्सकीय साक्षी
पी.ड. 23	रामवीर	कायमी मुदकमा
पी.ड. 24	सुन्दरदेवी	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.ड. 25	जबरसिंह	फर्द गिरफ्तारी मौतबीर
पी.ड. 26	बृजमोहन	फर्द जब्ती स्कॉर्पियो मौतबीर
पी.ड. 27	ग्यारसीदेवी	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.ड. 28	पुखराज	बीच–बचाव साक्षी

ब. बचाव पक्ष के साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी सीक्ष, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
प्रदर्श डी. 01	टीकमसिंह	बचाव साक्षी
प्रदर्श डी. 02	अकरम खाँ	बचाव साक्षी

अभियोजन व बचाव पक्ष के दस्तावेती साक्ष्य की सूची

अ. अभियोजन पक्ष के दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी. 01	फर्द जब्ती लोहे का पाईप
2.	प्रदर्श पी. 02	नजरी नक्शा लोहे का पाईप
3.	प्रदर्श पी. 03	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राणसिंह
4.	प्रदर्श पी. 04	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त पीरसिंह
5.	प्रदर्श पी. 05	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रामसिंह
6.	प्रदर्श पी. 06	नक्शा मौका व हालात मौका
7.	प्रदर्श पी. 07	फर्द जब्ती खून आलूदा धोती एवं साफा
8.	प्रदर्श पी. 07 (पुनः)	चोट प्रतिवेदन मजरूबा सौरभ कुमारी
9.	प्रदर्श पी. 08	प्रथम सूचना रिपोर्ट
10.	प्रदर्श पी. 08 (पुनः)	चोट प्रतिवेदन मजरूब भोलाराम
11.	प्रदर्श पी. 08 (पुनः 1)	बीएसएनएल का पत्र
12.	प्रदर्श पी. 09 ए	अमराराम का जाति प्रमाण–पत्र की प्रति
13.	प्रदर्श पी. 10 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
14.	प्रदर्श पी. 11	रोड़ सर्टिफिकेट
15.	प्रदर्श पी. 12	पीएस सिवाना का अग्रेषण–पत्र
16.	प्रदर्श पी. 13	एसपी ऑफिस का अग्रेषण–पत्र
17.	प्रदर्श पी. 14	एफएसएल की प्राप्ति रसीद
18.	प्रदर्श पी. 15	आरोप–पत्र
19.	प्रदर्श पी. 16	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त टीकमसिंह
20.	प्रदर्श पी. 17	चोट प्रतिवेदन मजरूब अमराराम
21.	प्रदर्श पी. 18	चोट प्रतिवेदन मजरूब मेघाराम
22.	प्रदर्श पी. 19	एमएलएसी रिपोर्टिंग फॉर्म मेघाराम
23.	प्रदर्श पी. 20	एमएलएसी रिपोर्टिंग फॉर्म अमराराम
24.	प्रदर्श पी. 21	पीएस सिवाना की मेघाराम के मेडिकल बाबत् तहरीर

25.	प्रदर्श पी. 22	मजरूब मेघाराम का डिस्चार्ज टिकट
26.	प्रदर्श पी. 23	मजरूबा मेघाराम का भर्ती टिकट
27.	प्रदर्श पी. 24	अभियुक्त रामसिंह की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला
28.	प्रदर्श पी. 25	फर्द जब्ती स्कॉर्पियो नंबर टीएन 04–एजे–7580
29.	प्रदर्श पी. 26	मेघाराम का जाति प्रमाण–पत्र
30.	प्रदर्श पी. 27	अमराराम का जाति प्रमाण–पत्र
31.	प्रदर्श पी. 28	अभियुक्त टिकमसिंह का आपराधिक रेकर्ड
32.	प्रदर्श पी. 29	एफआईआर संख्या 135/2010 का आरोप–पत्र
33.	प्रदर्श पी. 30 लगायत 33	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स
34.	प्रदर्श पी. 34	पर्चा एफआईआर
35.	प्रदर्श पी. 35	मजरूब मेघाराम की चोटों के संबंध में राय
36	प्रदर्श पी. 36	अभियुक्त राणसिंह की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला

ब. बचाव पक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श डी. 01	एफआईआर संख्या 09/2004
2.	प्रदर्श डी. 02	एफआईआर संख्या 165/2004
3.	प्रदर्श डी. 03	प्रकरण संख्या 135/2010 के निर्णय की प्रति
4.	प्रदर्श डी. 04	एफआईआर संख्या 103/2011

निर्णय

दिनांकः– 12.05.2026

1. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना, जिला बालोतरा की ओर से अभियुक्तगण पीरसिंह, टिकमसिंह, राणसिंह व रामसिंह के विरुद्ध अंतर्गत धारा 458, 307, 323, 325 भादसं व 3(i)(x), 3(2)(v) एएसी/एसटी एक्ट के अपराध का आरोप–पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहाँ से प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियोजन कहानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी अमराराम ने पुलिस थाना, सिवाना के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 06.01.2013 को शाम के करीबन 8:30 बजे वह अपने घर में बैठा था, तभी घर के अंदर पीरसिंह, राणसिंह व टीकमसिंह तथा हंसुदेवी व पांच अन्य लोग हाथों में लोहे के पाईप व

लोहे के लगिये लेकर आये और आते ही उसे ढेढ़, नीच, कमीण के जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और पीरसिंह, राणसिंह व टीकमसिंह ने उसके सिर पर वार किया, जिस पर उसके हाथ के चोट लगी और हाथ फ्रेक्चर हो गया । उसने रड़े की तो रणसिंह ने कहा कि राजबन्ना फायर कर दो । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर राह चलते मेघाराम बीच–बचाव करने आया तो इन लोगों ने मेघाराम के माथे पर लोहे के लगिये से व पाईप से जान से मारने की नियत से वार किया, जिससे मेघाराम खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया । इन सभी ने बोलेरो में बैठे लोगों ने घर के अंदर आकर मेघाराम को घसीटते हुए घर के आगे रास्ते पर पटक दिया तथा टीकमसिंह कहने लगा कि राजबन्ना आज चलो सभी ढेढ़ों को खत्म कर दो, तभी पड़ौस के तगाराम व पुखराज दौड़कर आये और बीच–बचाव किया, तो इन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की । उसके परिवार व मोहल्ले के लोग आये तब वे सभी बोलेरो गाड़ी में बैठकर भाग गये............इत्यादि । उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना, सिवाना में प्रकरण संख्या 02/2013 अंतर्गत धारा 323, 458, 307 भादसं व 3(i)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में पंजीबद्ध किया गया । दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण पीरसिंह, टीकमसिंह, राणसिंह व रामसिंह को गिरफ्तार कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 458, 323, 325, 307 भादसं व 3(i)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 459, 323, 325, 307 भादसं व 3(i)(x), 3(2)(v) के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने उक्त आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है:–

5. गवाह पी.ड. 01 सांवलराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.01.2013 को थानाधिकारी पीएस सिवाना वीरसिंह जाखड़ ने प्रकरण संख्या 02/2013 में मुलजिम राणसिंह की इत्तिला अनुसार उसके कब्जे से एक लोहे का पाईप जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 01 के जब्त किया, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी. 02 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि थानाधिकारी ने स्वतंत्र मौतबीर बुलाने की कोशिश की थी, पर कोई मिला नहीं । पाईप की लंबाई व मोटाई वह नहीं बता सकता है । इस सुझाव को सही बताया कि खेत खुला

एरिया था, जहाँ पर कोई आ–जा सकता है। फर्दात् उसके स्वयं के हाथ की कलमी हैं, जो उसने थानाधिकारी के निर्देशन में बनाई थी। इस सुझाव को गलत बताया कि वह पुलिस की नौकरी करने की वजह से थानेदार का मातहत कर्मचारी होने की वजह से झूठे बयान दे रहा हो।

6. गवाह पी.ड. 02 खंगाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.01.2013 को सीओ बालोतरा द्वारा पीएस सिवाना के प्रकरण संख्या 02/2013 में अभियुक्त राणसिंह व पीरसिंह को तथा दिनांक 04.02.2013 को अभियुक्त रामसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 03, 04 व 05 के गिरफ्तार किया था, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 07.02.2013 को अभियुक्त रामसिंह के कब्जे से एक वाहन स्कॉर्पियो नंबर टीएन 04–एजी–7580 को जब्त किया था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि राणसिंह, पीरसिंह व रामसिंह जब थाने पहुँचे, तब वे थाने में ही थे और उनके सामने गिरफ्तार किया। राणसिंह व पीरसिंह के शरीर पर चोटों के निशान थे, कहां–कहां थे, उसे याद नहीं। इस सुझाव को गलत बताया कि रामसिंह जालोर का रहने वाला था, जो सीओ कार्यालय में चालान कटाने के लिए आया हुआ था, तब उसको गिरफ्तार किया हो।

7. गवाह पी.ड. 03 मालाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से पाँच–छह साल पहले वह अपने गाँव रमणिया जा रहा था, तब वहाँ पर पुलिस ने पीरसिंह, राणसिंह व टीकमसिंह का अमराराम के साथ झगड़ा व बोलचाल बाबत् मौका देखा, जो नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि वह मौक पर अपने आप ही गया था, किसी ने बुलाया नहीं था। इस सुझाव को गलत बताया कि मौके पर कोई लिखापढ़ी नहीं की हो। लिखापढ़ी मुस्तगीस से घर पर आकर मारपीट करने की थी। पुलिस ने मौके से एक डिब्बी में खून का सैंपल लिया था व दूसरी डिब्बी में सादी मिट्टी का सैंपल लिया था।

8. गवाह पी.ड. 04 मेघाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन चार साल पहले रात्रि के 10 बजे राणसिंह, पीरसिंह, टीकमसिंह वगैरह लोहे के सरिये लेकर अमराराम के घर पर आये और उसके साथ मारपीट की। वह बीच–बचाव करने गया, तो उसके साथ भी मारपीट की। उसके सिर व पूरे शरीर पर चोट मारी (गवाह ने दोनों कंधों की ओर ईशारा करके बताया), जिससे उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर हो गया।

फिर उसे सिवाना अस्पताल लेकर गये । पुलिस ने उसका साफा व धोती जो खून से रंगी हुई थी, को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 07 के जब्त किया, जिस पर उसका अंगूठा करवाया था । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि उसके चोट अमराराम के घर के अंदर मारी थी । इस सुझाव को सही बताया कि झगड़ा हाजिर अदालत राणसिंह की औरत की वजह से हुआ था । जब वह अंदर गया तब राणसिंह, पीरसिंह, टीकमसिंह वगैरह अमराराम के घर में ही थे । उसके खून सिर्फ सिर में से ही आया था । उसके व टीकमसिंह के आपस में बोलचाल ठीक नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि वे अस्पताल से वापस आने के बाद थाने गये थे । जिस समय घटना हुई उस दिन वह गाय चराने गया था और गौशाला से रात के दस बजे वापस आया था । मारपीट तो अमराराम के साथ हो रही थी, वह बचाने गया था । उसकी लगी चोट डॉक्टर ने देखी थी, जिसकी जाँच भी की थी और एक्सरे भी लिया था । राणसिंह के भी चोट लगी थी । घटना के समय राणाराम, भट्टाराम और भंवराराम भी मौके पर मौजूद थे और इन लोगों के साथ भी मारपीट कर रहे थे । उनके हाथ में क्या था, अंधेरा होने की वजह से देख नहीं सका । उसके किसने चोटे मारी, अंधेरे की वजह से उसे पता नहीं चला । उसकी डॉक्टरी किस दिन किस तारीख को हुई, उसे पता नहीं, क्योंकि वह होश में नहीं था ।

9. गवाह पी.ड. 05 तगाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से लगभग नौ साल पहले शाम को आठ साढ़े आठ बजे वह अपने घर से थोड़ी दूर अमराराम के घर की तरफ गया, तो देखा कि वहाँ पर पीरसिंह जिसके हाथ में लोहे का लगिया था, राणसिंह जिसके हाथ में लोहे का पाईप था, जिन्होंने अमराराम व मेघाराम को मारा, जिससे मेघाराम के माथे पर चोट आई और अमराराम का हाथ तोड़ दिया । पीरसिंह, राणसिंह व टीकमसिंह वगैरह ने कहा कि ढेढ़ों को मारो और जातिसूचक गालियाँ बोली । उसने, पुखराम, सोरभ व भट्टाराम ने मिलकर बीच–बचाव किया । अमराराम के घर में बनी हुई पॉल में राणसिंह वगैरह ने मारपीट की । वे सभी सफेद गाड़ी में सवार होकर आये थे । उन्होंने अमराराम व मेघाराम को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर मेघाराम के गंभीर चोट होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि वह छुड़ाने गया, तब उसके भी चोट आई थी । मेघाराम बेहाश था, अमराराम बेहोश नहीं था । अमराराम के हाथ व पैरों पर चोट आई थी । पुलिस ने उससे किस केस में पूछताछ की थी, उसे पता नहीं । इस सुझाव को सही बताया कि अमराराम की पोल मे खून गिरा हुआ था ।

इस सुझाव को सही बताया कि सारा झगड़ा पोल के अंदर ही हुआ था । सड़क पर कोई झगड़ा नहीं हुआ था ।

10. गवाह पी.ड. 06 सौरभ कुमारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से लगभग नौ साल पहले शाम को आठ बजे अमराराम के घर पर गाड़ी में सवार होकर टीकमसिंह, पीरसिंह, राणसिंह आये, जो अमराराम के घर में घुसे और अमराराम बाहर आया तो उसके साथ टीकमसिंह, पीरसिंह व राणसिंह ने यह कहते हुए मारपीट की कि ढेढ़ों को मारो । उसने, उसके पिता पुखराजजी व भट्टाराम ने मिलकर बीच–बचाव किया, तब उन्होंने उनके साथ भी मारपीट की । उसके बा मेघारामजी के साथ भी मारपीट की । सभी लोग मारपीट करके भाग गये । अमराराम व मेघारामजी को अस्पताल लेकर गये, जहाँ से मेघारामजी को जोधपुर रेफर किया गया । उसने अपनी चोट की डॉक्टरी करवाई थी, जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 07 है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि वह घटना के दिन पोल में बैठकर टीवी देख रही थी, तब उसने आवाज सुनी । इस सुझाव को गलत बताया कि उन्होंने राणसिंह वगैरह पर झूठा मुकदमा किया हो, अजखुद कहा कि उन्होंने उनका सिर फोड़ दिया था । उसके साथ हॉकी से मारपीट की थी । सबके साथ में हॉकी से मारपीट की थी । अमराराम के घर के अंदर पोल में खून गिरा हुआ था । पूरा झगड़ा पोल के अंदर ही हुआ था । उसके पैर में चोट आई थी ।

11. गवाह पी.ड. 07 अमराराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन दस साल साहल पहले रात को साढ़े आठ बजे पीरसिंह, राणसिंह, टीकमसिंह, हंसकंवर व दो–तीन जने गाड़ी में सवार होकर उसके घर पर आये, जिनके हाथ में लाठियाँ व सरिया था । वे लोग ढेढ़ों को मारने की गालियाँ बोलते हुए आये । उन्होंने उसे जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया । पीरसिंह व राणसिंह ने उसके सिर पर मारी, उसने हाथ आड़े किया तो उसका बायां हाथ टूट गया । उसकी रड़े सुनकर उसका भाई मेघाराम छुड़ाने आया, तो इन लोगों ने उसे सरिये, पाईप व लाठियों से मारी, जिससे वह नीचे गिर गया और उसके सिर पर चोट आई । पड़ौसी तगाराम, पुखराज, भटाराम, सौरभदेवी आये उन्हें छुड़ाया । उन्हें सिवाना अस्पताल लेकर गये, जहाँ से उसे जोधपुर रेफर कर दिया । उसने पुलिस को रिपोर्ट पेश की थी, जो प्रदर्श पी. 08 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । उसने पुलिस को नक्शा मौका बताया था, जो नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । जोधपुर में महात्मा गाँधी अस्पताल में छह–सात दिन

वह भर्ती रहा था । वह पीरसिंह, राणसिंह, टीकमसिंह, हसंकंवर व चार–पाँच सभी को पहचानता है । उसका असल जाति प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी. 09 है, जिसकी फोटोकॉपी प्रदर्श पी. 09 ए है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि उसकी चोटों का एक्सरे जोधपुर में हुआ था, जो बाएं हाथ का हुआ था । वे घटना के समय सोये नहीं थे, बैठे थे । रात को साढ़े आठ बजे की बात है । प्रदर्श पी. 06 पर उसने हस्ताक्षर कहां किये थे, उसे याद नहीं । प्रदर्श पी. 08 पर ए से बी उसने हस्ताक्षर थाने में किये थे । रिपोर्ट उसकी कलमी नहीं है । किसने लिखी थी, उसे ध्यान नहीं है । इस सुझाव को गलत बताया कि उसके और मगाराम के चोट घर में ही आपस में लड़ाई से आई हो । इस सुझाव को गलत बताया कि मुलजिमान ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की हो ।

12. गवाह पी.ड. 08 डॉ. शिवदत्त बोड़ा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.01.2013 को पीएस सिवाना की तहरीर पर मजरूबा सौरभदेवी के शरीर पर आई चोटों की जाँच कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 07 तैयार किया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मजरूबा का अंगुष्ठ निशान, सी से डी चोटों का विवरण व ई से एफ मजरूबा के पहचान चिह्न अंकित हैं । मजरूबा के शरीर पर कुल दो प्रकार की चोटें थी, जो साधारण प्रकृति की व भौंटे हथियार से कारित थी । चोटों की अवधि 12 से 24 घंटे की थी । उसी रोज मजरूब भट्टाराम के शरीर पर आई चोटों की जाँच कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 08 मुर्तिब किया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी चोटों का विवरण, ई से एफ पहचान चिह्न, जी से एच चोटों की संभावित अवधि व आई से जे मजरूब के हस्ताक्षर है । मजरूब के शरीर पर कुल दो प्रकार की चोटे थी, जो साधारण प्रकृति की व भौंटे हथियार से कारित थी । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसने मजरूब का चिकित्सकीय परीक्षण के समय आधार कार्ड, पहचान चिह्न से संबंधित दस्तावेज नहीं देखे थे, अजखुद कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । इस सुझाव को गलत बताया कि आहतगण को कारित चोटे स्वकारित हो सकती हो । इस सुझाव को सही बताया कि चोट प्रतिवेदन बाबत् पुलिस द्वारा तहरीर की संख्या का उल्लेख चोट प्रतिवेदन में नहीं किया गया है ।

13. गवाह पी.ड. 08(1) मोहनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीब दस साल पहले पुलिस ने उसके सामने अमराराम मेघवाल के घर का मौका देखा था, जो नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 06 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर

है । पुलिस ने मौके से खून भरी मिट्टी का व सादी मिट्टी का सैंपल लिया था । मौके से और क्या–क्या बरामद किया, उसने नहीं देखा, जिस पर विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गई, जिसमें गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उसके सामने डंडा बरामद किया था । फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 01 व नजरी नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी. 02 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि पुलिस ने उसे मौके पर ही हस्ताक्षर करवाए थे । मौके पर उसे कोई बुलाने नहीं आया था ।

14. गवाह पी.ड. 10 भटाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2013 को शाम के साढ़े आठ बजे एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आई, जिसमें पीरसिंह, राणसिंह, टीकमसिंह, रामसिंह व अन्य दो–तीन जने थे, जिनके हाथों में लोहे के पाईप, हॉकियाँ व धारदार हथियार थे । उक्त लोगों ने अमराराम के घर में प्रवेश किया और चारों ने मिलकर अमराराम व मेघाराम के साथ मारपीट की । मेघाराम के सिर पर लोहे के पाईप की चोट मारी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया । इन्होंने गाली–गलौंच की कि इन ढेढ़ों को जान से खत्म कर दो । उसने, उसके पिताजी ने व बहन ने बीच–बचाव किया, तो राणसिंह ने उसके दाहिने पैर पर पाईप से चोट मारी । उसकी बहन सौरभ के साथ भी मारपीट की । मेघाराम की हालत गंभीर होने से उसे जोधपुर रेफर किया गया । पुलिस वालों ने उसकी डॉक्टरी करवाई, जो प्रदर्श पी. 08 है, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में बताया कि घटना के वक्त पुलिस मौके पर आ गई थी, अजखुद कहा कि पुलिस घटना के आधा घंटा बाद मौके पर आ गई थी । उसके पांव के पीछे की तरफ पिंडली पर चोट लगी थी । इस सुझाव को सही बताया के मेघाराम, अमराराम के घर से लगभग आधा–एक कि.मी. दूरी पर रहता है । उसके सामने पुलिस ने हॉकी व पाईप बरामद किये थे । इस सुझाव को सही बताया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 06 में उसके घर दर्शाया हुआ नहीं है ।

15. गवाह पी.ड. 11 प्रेमकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.01.2013 को प्रकरण संख्या 02/2013 पीएस सिवाना में मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 1/2013 पर जमा माल में खून आलूदा मिट्टी, प्रदर्श पैकेट मार्क–1, सादा मिट्टी प्रदर्श पैकेट मार्क–3 व खून आलूदाकपड़े सीलबंद पैकेट मार्क–3 वास्ते प्रयोगशाला भेजने के लिए अग्रेषण–पत्र तैयार कर दिनांक 14.02.2013 को जरिये रोड़ नंबर 11 के एफसी

लक्ष्मणसिंह को सुपुर्द किये । बाद माल जमा करवाने के प्रयोगशाला की प्राप्ति रसीद क्रमांक 36/2013 दिनांक 15.02.2013 असल थाना रोड़ एवं अग्रेषण–पत्र एसपी के उसे लाकर सुपुर्द की, जिनको उसने अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द किया । माल जब तक उसके पास रहा सीलबंद व सही हालत में रहा । असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी. 10 है, जिसकी प्रति प्रदर्श पी. 10ए तथा रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी. 11 है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके सामने कोई माल पेश नहीं हुआ हो । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 10ए में उसके व एफएसएल में माल जमा करवाने हेतु ले जाने वाले मालवाहक के हस्ताक्षर नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 11 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, अजखुद कहा कि थानाधिकारी के हस्ताक्षर है । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 11 असल रोड़ बुकी की फोटोकॉपी नहीं है, अजखुद कहा कि असल रोड़ सर्टिफिकेट है ।

16. गवाह पी.ड. 12 लक्ष्मणसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.02.2013 को प्रकरण संख्या 02/2013 पीएस सिवाना में मालखाना इंचार्ज से कुल तीन पैकेट मार्क–1, 2 व 3 को जरिये रोड़ नंबर 11 मय थाने का अग्रेषण–पत्र लेकर एसपी ऑफिस बाड़मेर पहुँचा, जहाँ से अग्रेषण–पत्र प्राप्त कर उक्त पैकेट को दिनांक 15.02.2013 को एफएसएल जोधपुर में जमा करवाया, जिसकी प्राप्ति रसीद की नकल एसपी ऑफिस में जमा करवा थाने वापस आया और असल प्राप्ति रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की । माल जब तक उसके पास रहा सुरक्षित व सही हालत में रहा । रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी. 11, थाने का अग्रेषण–पत्र प्रदर्श पी. 12, एसपी ऑफिस का अग्रेषण–पत्र प्रदर्श पी. 13 तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 14 है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि पैकेट्स पर कुल कितनी व कहां–कहां सीलमोहर लगी हुई थी, उसे याद नहीं है, अजखुद कहा कि माल सीलबंद हालत में था । इस सुझाव को सही बताया कि रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी. 11 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 11 में उसके द्वारा माल ले जाने का नाम अंकित नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि एफएसएल हेतु माल जे जाने का व वापस आने का रोजनामचा व यात्रा वारण्ट इस पत्रावली पर नहीं है, अजखुद कहा कि अनुसंधान अधिकारी बता सकता है ।

17. गवाह पी.ड. 13 बहादूरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2013 को शाम के करीबन 6:30–7 बजे के बीच में टीकमसिंह उसकी दुकान पर

मेल करवाने के लिए आया था । वैसे तो वह अपनी दुकान बंद करके नौ बजे ही घर चला जाता है, परंतु उस दिन रात्रि के साढे नौ बजे तक वह दुकान पर ही बैठा था तथा मेल भेजने का प्रयास कर रहा था । उस अवधि के दौरान टीकमसिंह उसके पास में बैठा था । घटना के बारे में उसे अगले दिन पता चला था । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि दिनांक 06.01.2013 को शाम के करीबन 7:30–9 बजे के बीच में उसके पास में अकरम खाँ तथा टीकमसिंह दोनों मौजूद थे ।

18. गवाह पी.ड. 14 सुमेरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.02.2013 को प्रकरण संख्या 02/2013 पीएस सिवाना में आईओ द्वारा जब्तसुदा खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी व खून आलूदा पारचात के सील्ड चेपायुक्त पैकेट जरिये विशेष वाहक एफसी लक्ष्मणसिंह के एफएससल में जमा करवाने हेतु रवाना किया था । थाने का अग्रेषण–पत्र प्रदर्श पी. 12, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । रोड़ सर्टिफिकेट प्रदर्श पी. 11, एसपी ऑफिस का अग्रेषण–पत्र प्रदर्श पी. 13 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 14 है । बाद संपूर्ण अनुसंधान पत्रावली उसे प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा मुलजिमान पीरसिंह, राणसिंह, रामसिंह व टीमसिंह के विरुद्ध जुर्म धारा 458, 307, 323, 325 भादंसं व 3(1)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया । आरोप–पत्र प्रदर्श पी. 15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि प्रदर्श पी. 11 पर माल ले जाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि उसके द्वारा इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है ।

19. गवाहान पी.ड. 15 मालाराम व पी.ड. 16 विशनाराम ने पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया । दोनों गवाहान से विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा विस्तृत रूप से जिरह की गई, परंतु गवाहान ने अभियोजन को ताईद नहीं किया ।

20. गवाह पी.ड. 17 छतरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.06.2013 को पुलिस ने जरिये तहरीर रमणिया गाँव में बीएसएनएल टॉवर बाबत् सूचना माँगी थी, जो उसने उपलब्ध करवाई थी । सूचना प्रदर्श पी. 08 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जिसके साथ उसने सिवाना में ब्रॉड बैंड की सुविधा का पत्र भी भेजा, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाइ ने इस सुझाव को सही बताया कि रमणिया गाँव में उनका टॉवर लगा हुआ नहीं है ।

21. गवाह पी.ड. 18 पृथ्वीराज मीणा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अक्टूबर 2013 को उसे प्रकरण संख्या 02/2013 पीएस सिवाना की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई, जिस पर उसने दौराने अनुसंधान गवाहान श्रीमती सुंदर देवी व सुश्री ग्यारसी के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये । बाद अनुसंधान आरोपीगण पीरसिंह, राणसिंह, रामसिंह व टीकमसिंह के विरुद्ध अंतर्गत धारा 458, 307, 323, 325 भादसं व 3(1)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थाने को भिजवाई गई । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसने इस प्रकरण में कोई मौका नहीं देखा और न ही कोई बरामदगी की । इस सुझाव को सही बताया कि उसने दो गवाहान के बयानों के अलावा अन्य कोई अनुसंधान नहीं किया, क्योंकि पूर्व में अनुसंधान हो रखा था ।

22. गवाह पी.ड. 18(1) महेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.10.2013 को थाना परिसर से मुलजिम टीकमसिंह को प्रकरण संख्या 02/2013 पीएस सिवाना में उसके व गुरविंदरसिंह के रूबर जरिये फर्द प्रदर्श पी. 16 के गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि मुलजिम टीकमसिंह को थाना परिसर से गिरफ्तार किया था । इस सुझाव को सही बताया कि थाने में अन्य लोगों का आना–जाना लगा रहता है ।

23. गवाह पी.ड. 19 नाथूसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.06.2013 को प्रकरण संख्या 02/2013 अंतगर्त धारा 458, 307, 323, 325 भादसं व 3(1)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट की पत्रावली उसे प्राप्त हुई, जिस पर दौराने अनुसंधान उसे जुगजरा के बयान उसके कहेनुसार लेखबद्ध किये । फिर उसने पत्रावली आईजी रेंज कार्यालय में हालात निवेदन करके वापस जमा करवाई । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि इस प्रकरण में गवाह जुगराज के बयान के अतिरिक्त उसके द्वारा इस प्रकरण में अन्य कोई अनुसंधान नहीं किया गया ।

24. गवाह पी.ड. 20 अमृतलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.10.2013 को प्रकरण संख्या 02/2013 पीएस सिवाना की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई । दौराने अनुसंधान मुलजिम टीकमसिंह को उसी रोज पुलिस थाना, समदड़ी में उसके द्वारा रूबर मौतबीरान के जरिये फर्द प्रदर्श पी. 16 के गिरफ्तार किया गया, जिस पर सी से डी उसके व शेष मौतबीरान व मुलजिम के हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की

जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि वह टीकमसिंह को पहले से नहीं जानता था । इस सुझाव को सही बताया कि मुलजिम ने उसे कोई इत्तिला नहीं दी थी ।

25. गवाह पी.ड. 21 रामेश्वरलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.01.2013 को प्रकरण संख्या 02/2013 पीएस सिवाना की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई । दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 06 मुर्तिब किया, जिस पर जी से एच उसके व शेष मौतबीरान के हस्ताक्षर है । आरोपीगण राणसिंह, पीरसिंह व रामसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 03, 04 व 05 के गिरफ्तार किया, जिन पर उसके व मौतबीरान के हस्ताक्षर है । घटनास्थल से एक साफा बरंग सफेद व एक धोती बरंग सफेद जिन पर खून लगा हुआ था, जो मजरूब मेघाराम के पहनी हुई थी, को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 07 के कब्जा पुलिस लिया गया । मजरूबा सौरभ व भटाराम के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 07 व 08 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये । मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 10 ए है । रोड़ सर्टिफिकेट नंबर 11 दिनांक 14.02.2013 प्रदर्श पी. 11, थाने का अग्रेषण–पत्र प्रदर्श पी. 12, एसपी ऑफिस बाड़मेर का अग्रेषण–पत्र प्रदर्श पी. 13 व एफएसएल की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 14 को शामिल पत्रावली किया । मजरूब अमराराम चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 17, मजरूब मेघाराम का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 18, मजरूब मेघाराम की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 19, मजरूब अमराराम की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 20, मजरूब मेघाराम की चोटों की डॉक्टरी राय बाबत् जारी पत्र प्रदर्श पी. 21, मजरूब मेघाराम का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी. 22 व भर्ती टिकट प्रदर्श पी. 23 को प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया । आरोपी रामसिंह द्वारा स्कॉर्पियो बरामदगी बाबत् धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी. 24 दी गई, जिस पर वाहन स्कॉर्पियो नंबर टीएन 04–एजे–7580 को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 25 के जब्त किया । मेघाराम व अमराराम के जाति प्रमाण–पत्र की प्रतियाँ प्रदर्श पी. 26 व 27 को शामिल पत्रावली किया । मुलजिम टीकमसिंह का आपराधिक रेकर्ड प्रदर्श पी. 28 है । दौराने अनुसंधान प्रकरण संख्या 135/2010 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 29 को शामिल पत्रावली किया । अनुसंधान के दौरान प्राप्त फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 30 लगायत 33 को शामिल पत्रावली किया । गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये । बाद अनुसंधान पत्रावली एसपी कार्यालय को भिजवा दी गई । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि इस प्रकरण का पूरा अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया है । इस सुझाव को सही बताया कि उसके द्वारा आलाय जरब बरामद नहीं किया गया है । इस

सुझा को सही बताया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 06 के अनुसार प्रार्थी के घर के अंदर घटना से संबंधित कोई आलामात नहीं पाये गये थे, अजखुद कहा कि घर के बाहर खून बिखरा हुआ पड़ा था । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 08 में सी से डी व ई से एफ भाग में कांटछांट व ऑवर राईटिंग की हुई है । इस सुझाव को सही बताया कि फोटोग्राफ्स पेशकर्ता के संबंध में कोई फर्द अलग से पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि सीडीआर का फर्द विश्लेषण अलग से पेश नहीं किया गया है । इस सुझाव को सही बताया कि उसने अन्य मुलजिमान की सीडीआर व कॉल लॉकेशन नहीं लिये थे । इस सुझाव को सही बताया कि जब्तसुदा वाहन स्कॉर्पियो रामसिंह के नाम पर नहीं था । इस सुझाव को सही बताया कि स्कॉर्पियो जब्ती का नक्शा अलग से मुर्तिब नहीं किया गया था ।

26. गवाह पी.ड. 22 डॉ. विकास जोशी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2013 को पीएस सिवाना की तहरीर पर मजरूब अमराराम के शरीर पर आई चोटों की जाँच कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 17 तैयार किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर, ई से एफ पहचान चिह्न, जी से एच चोटों का विवरण अंकित है । मजरूब के शरीर पर आई चोट संख्या 01 उसकी बाईं कलाई पर आई सूजन थी, जिसकी अवधि एक से डेढ़ घंटे की थी, जिसके लिए एक्सरे की राय दी गई, जो एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 20 है, जिसके अनुसार उक्त चोट गंभीर प्रकृति व भौंटे हथियार से कारित पाई गई । उसी रोज मजरूब मेघाराम की चोटों की जाँच कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 18 तैयार किया, जिसके शरीर पर कुल तीन प्रकार की चोटे थी । सभी चोटें भौंटे हथियार से कारित थी । चोटों की प्रकृति जानने के लिए सीटी स्कैन एवं एक्सरे की राय दी गई । बाद सीटी स्कैन व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 19 के अनुसार चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति तथा चोट संख्या 02 व 03 साधारण प्रकृति की पाई गई । मजरूब मेघाराम की चोटों के बारे में राय माँगी गई, जो राय प्रदर्श पी. 21 है, जिसके अनुसार चोट संख्या 01 का समय पर इलाज नहीं किया जाता, तो चोट संख्या 01 प्राणघातक हो सकती थी । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 17 लगायत 21 पर मजरूबान के हस्ताक्षर नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 17 लगायत 21 में पुलिस प्रतिवेदन संख्या का अंकन नहीं किया है और न ही इसमें उसके द्वारा मजरूबान को उसके पास कौन लेकर आया था, इसका अंकन किया है । इस सुझाव को सही बताया कि उसने आहतगण के एक्सरे नहीं लिये थे । इस सुझाव को गलत बताया कि जिस चोट को वह प्राणघातक बता रहा है, वह

सिर के वाईटल पार्ट पर नहीं हो । उक्त चोट आंख के उपरी भाग पर थी । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 17 व 18 एक से डेढ़ घंटे के भीतर की है एवं इससे अधिक की अवधि नहीं है, अजखुद कहा कि यह समयावधि लगभग बताई जाती है । इस सुझाव को सही बताया कि उक्त एक से डेढ़ घंटे की अवधि वह चिकित्सा विज्ञान व उसके अनुभव के आधार पर बता रहा है ।

27. गवाह पी.ड. 23 रामवीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.01.2013 को परिवादी अमराराम की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 पर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसकी चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 34 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । चोट प्रतिवेदन पर राय बाबत् जारी पत्र प्रदर्श पी. 35 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । मजरूब मेघाराम की चोटों की राय बाबत् जारी पत्र प्रदर्श पी. 21 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है । मुलजिम राणसिंह ने मारपीट में प्रयुक्त पाईप को बरामद करवाने बाबत् धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी. 36 दी, जिस पर उसकी निशांदेही से एक लोहे का पाईप जरिये फर्द प्रदर्श पी. 01 के कब्जा पुलिस लिया गया, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श पी. 02 है, जिन पर उसके, मौतबीरान व मुलजिम के हस्ताक्षर है । तत्पश्चात् पत्रावली अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि पाईप पर ऐसा कोई पहचान चिह्न मौजूद नहीं था, जिससे यह कहा जा सके कि उक्त पाईप राणसिंह का ही हो । इस सुझाव को सही बताया जि किस लोहे के पाईप को वह बरामद करना बता रहा है, उस पर कोई खून, मानव चमड़ी या मानव बाल लगे हुए नहीं थे । इस सुझाव को सही बताया कि बरामदगी स्थल राणसिंह के मालिकाना हक का एवं स्वामित्व का हो, इस बाबत् उसके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं लिये गये थे और न ही इस संबंध में उसके द्वारा किसी से कोई पूछताछ की गई थी । इस सुझाव को सही बताया कि बरामदगी स्थल खुला स्थान था, जहाँ कोई भी आ–जा सकता है । इस सुझाव को सही बताया कि उसने जिसकी बरामदगी की है, वह लगिया नहीं है, बल्कि लोहे का पाईप ही है ।

28. गवाह पी.ड. 24 सुदंरदेवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन 12 साल पहले वह अपने परिवार सहित घर पर सो रही थी, तभी पॉल का दरवाजा खोलकर राणसिंह, पीरसिंह, टीकमसिंह, हंसुदेवी व अन्य तीन–चार लोग अंदर आये और कहा कि कोण्डा उठ, तब उसका पति उठा तो पीरसिंह ने उसके पति के सिर में लाठी से चोट मारनी चाही, उसके पति ने हाथ आड़े किया, तो उसका हाथ टूट गया । सभी लोगों ने

उसके पति के साथ मारपीट की । चिल्लाने पर पड़ौसी मेघाराम आया, तो सभी मुलजिमान ने मेघाराम के सिर में जोर से लोहे के पाईप से मारी, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर गया । वह छुड़ाने गई तो मुलजिमान द्वारा उसके साथ भी धक्का—मुक्की की गई । मोहल्ले वाले व अन्य लोगों को आता देख पॉल के आगे खड़ी सफेद रंग की गाड़ह में सवार होकर सभी वहाँ से भाग गये । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि इसी घटना को लेकर उनके खिलाफ भी मुकदमा इस न्यायालय में चल रहा है । मारपीट लगिये से की गई थी । घटना रात्रि नौ बजे के बाद की है । घटना के समय उसका पति पोल में सो रहा था । उनके घर का दरवाजा ऐसे ही बंद किया हुआ था, अजखुद कहा कि वे लोग दरवाजा खोलकर अंदर आये थे । उनके घर के अंदर खून गिरा हुआ था, जो पोल के अंदर गिरा हुआ था, जो उन्होंने पुलिस वालों को बताया था ।

29. गवाह पी.ड. 25 जबरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.02.2013 को आठ पीएम पर वृत्त कार्यालय बालोतरा में उसके व खंगाराराम के रूबर मुलजिम रामसिंह को प्रकरण संख्या 02/2013 अंतर्गत धारा 458, 307, 323, 325 भादसं व 3(1)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में जरिये फर्द प्रदर्श पी. 05 के गिरफ्तार किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि मुलजिम को सीओ ऑफिस बालोतरा में गिरफ्तार किया था । इस सुझाव को गलत बताया कि मुलजिम अनुसंधान में सहयोग में आया हो और उनके अधिकारियों ने गलत रूप से उसे गिरफ्तार किया हो । इस सुझाव को सही बताया कि उसके रूबरू मुलजिम ने कोई इत्तिला नहीं दी ।

30. गवाह पी.ड. 26 बृजमोहन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.02.2013 को प्रकरण संख्या 02/2013 पीएस सिवाना में श्री रामेश्वरलाल, वृत्ताधिकारी बालोतरा द्वारा वक्त 11.45 एएम पर रामसिंह के कब्जे से एक स्कॉर्पियो नंबर टीएन 04—एजे—7580 बरंग सफेद को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 25 के पुलिस थाना सिवाना में जब्त किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि जहाँ पर उक्त गाड़ी जब्त करना बताया गया है, वहाँ स्वतंत्र मौतबीरान आसानी से मिल सकते हैं, अजखुद कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र मौतबीरान रहने के लिए तैयार नहीं हुआ था । इस सुझाव को गलत बताया कि उसके सामने

किसी प्रकार की कोई जब्ती नहीं हुई हो तथा वह अधीनस्थ कर्मचारी होने से उच्चाधिकारियों के कहने से केवल हस्ताक्षर किये हो ।

31. गवाह पी.ड. 27 ग्यारसीदेवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन 13–14 साल पहले शाम को साढ़े आठ बजे वह अपने परिवार के साथ सो रही थी और पॉल का दरवाजा बंद था । फिर टीकमसिंह, राणसिंह, पीरसिंह व राणसिंह की पत्नी दरवाजा खोलकर अंदर आये और उसके पिताजी को जातिसूचक अपशब्दों से गालियाँ दी एवं उसके पिताजी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया । उन लोगों ने उसके पिताजी के साथ लाठियों एवं लोहे के सरिये से मारपीट की, जिससे उनके हाथ की कलाई पर चोट आई थी और हाथ टूट गया । हो–हल्ला सुनकर उसकी माताजी व पड़ौसी मेघाराम वहाँ आये, तब उन लोगों ने मेघाराम को जान से मारने की नियत से उसके सिर पर लोहे के पाईप से चोट मारी । मुलजिमान सफेद कलर की गाड़ी में आये थे । राणसिंह, पीरसिंह, टीकमसिंह व राणसिंह की पत्नी को वह जानती है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 में उसका नाम लिखा हुआ नहीं है । इस सुझाव को सही बताया कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं लगी थी और न ही उसके कोई कपड़े वगैरह फटे थे । इस सुझाव को सही बताया कि उसके पिताजी वगैरह के विरुद्ध इसी कोर्ट में मुकदमा दर्ज है ।

32. गवाह पी.ड. 28 पुखराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन पाँच–छह साल पहले शाम के आठ बजे पीरसिंह, राणसिंह, टीकमसिंह सफेद कलर की बोलेरो गाड़ी लेकर आये और अमराराम के घर में घुसकर उनके साथ में मारपीट की । हो–हल्ला सुनकर वह भी वहाँ गया, तब ये लोग अमराराम व मेघाराम के साथ मारपीट कर रहे थे और उन्हें ढेढ़, नीच, कमीण आदि की गालियाँ दे रहे थे । इन लोगों ने मेघाराम को जाने से मारने की नियत से उसके सिर पर लाठी से वार किया । उसने, तगाराम, सौरव व भटाराम ने बीच–बचाव किया । पुलिस मौके पर आई और मुलजिमान को पकड़कर ले गई । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने बताया कि उसका घर घटनास्थल से 50 फीट की दूरी पर आया हुआ है । इस सुझाव को गलत बताया कि झगड़ा घर के बाहर रोड़ पर हुआ हो, अजखुद कहा कि झगड़ा घर के अंदर हुआ था । इस सुझाव को सही बताया कि बीच–बचाव के दौरान उसके कोई चोट नहीं लगी थी और न ही उसके कपड़े वगैरह फटे थे । वह झगड़ा होने के 6–7 मिनट बाद मौके पर पहुँच गया था । इस सुझाव को सही बताया कि

झगड़ा हुआ उस वक्त घटनास्थल पर अंधेरा था । अमराराम के हाथ पर लगी थी तथा बाकी शरीर पर खरोंचों के निशान थे ।

33. अभियुक्तगण का परीक्षण दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होने, स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया । साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा ।

34. अभियुक्तगण की ओर साक्ष्य सफाई में गवाह डी.ड. 01 टीकमसिंह ने परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह सितम्बर माह वर्ष 1996 में सरकारी कम्पाउण्डर के पद पर सीएचसी समदड़ी में पदस्थापित था। वर्ष 1998 में उसका ट्रांसफर पीएचसी रमणिया में हो गया था। उस दरम्यिान ओमाराम मेघवाल, पंचायत समिति सिवाना में तत्कालीन प्रधान था एवं ओमाराम का सगा जीजा गोपाराम मेघवाल, जो उस समय सिवाना का विधायक था। ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी से प्रधान व विधायक थे। उस समय राज्य सरकार कांग्रेस की ही थी। इन लोगों ने रमणिया एवं मोकलसर में नौकरी करने हेतु वर्ष 2004 में रिश्वत के पैसे मांगे थे तथा रिश्वत न देने पर बांसवाड़ा ट्रांसफर की धमकी दी। फिर उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में इन दोनों की शिकायत की थी, जिसमें विधायक गोपाराम के विरूद्ध सीएनआर नंबर 09/2004 भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर में व प्रधान ओमाराम के विरूद्ध सीएनआर नंबर 165/2004 भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर में प्रकरण दर्ज हुआ। उसके बाद उसकी इन दोनों से आपस में दुश्मनी हो गई। फिर उसके बाद में इन्होंने उसे निलंबित करवा दिया। फिर उसके बाद मुझे झूठे मुकदमें में फंसाकर बर्खास्त भी करवा दिया। फिर इन दोनों ने अपने रिश्तेदारों को आगे करके उस पर करीब 5 एससी/एसटी एक्ट के मुकदमें भी करवाये थे, जिसमें से तीन तो स्वयं उसके खिलाफ एवं दो अन्य प्रकरण जिसमें उसे शामिल करवाया था, जिसमें से तीन मुकदमों में एफआर तथा दो मुकदमों में उसके विरूद्ध चालान पेश हुआ था, जिसमें से यह एक प्रकरण भी शामिल है। इस प्रकरण में उसे गलत एवं झूठा फंसाया गया है, क्योंकि घटना वाले रोज वह सिवाना कस्बे में बहादुरसिंह की एसटीडी तथा ई–मित्र पर शाम के समय 7:30–9:30 बजे तक मेल करवाने के लिये गया हुआ था । उस समय उसके साथ बहादूरसिंह व भास्कर संवाददाता अकरखाँ भी थे । प्रथम सूचना रिपोर्ट 09/2004 एसीबी जयपुर प्रदर्श डी. 01, प्रथम सूचना रिपोर्ट 165/2004 एसीबी जयपुर प्रदर्श डी. 02, पीएस सिवाना के मुकदमा नंबर 135/2010 के निर्णय की प्रति प्रदर्श डी. 03 व सीआर नंबर 103/2011 पीएस सिवाना प्रदर्श डी. 04 है । विशिष्ट

लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि यह मुकदमा गोपाराम व ओमाराम के द्वारा दर्ज करवाया हुआ नहीं है, अजखुद कहा कि रिश्तेदारों को आगे करवाकर करवाया है । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श डी. 01 रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज करवाई हुई नहीं है, अजखुद कहा कि उक्त रिपोर्ट में उससे रिश्वत मांगने का संपूर्ण विवरण अंकित है । इस सुझाव को सही बताया कि वह बर्खास्त हो गया था, उसके बाद यह मामला दर्ज हुआ था ।

35. अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई में गवाह डी.ड. 02 अकरखाँ ने उपस्थित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2013 को सिवाना में बहादूरसिंह की दुकान खेतेश्वर ई–मित्र पर था । ई–मित्र पर शाम के करीबन सात बजे आया तथा वापस करीबन सवा नौ बजे गया था । उस समय ई–मित्र पर उसके अलावा बहादूरसिंह व टीकमसिंह राजपुरोहित वहीं पर मौजूद थे । वह टीकमसिंह को जानता है, क्योंकि वे रमणिया में कम्पाउण्डर थे तथा अपने काम से ई–मित्र पर मिलते रहते थे । वह निकला तब टीकमसिंह वहीं पर था तथा उसके जाने के बाद टीकमसिंह निकल गये थे । विशिष्ठ लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि वह टीकमसिंह के कहने पर बयान देने आया है । इस सुझाव को गलत बताया कि उसने ई–मित्र पर ई–मेल को इस्तेमाल करने के लिए अपना पहचान–पत्र, समय और किस काउंटर में बैठा था, इसके संबंध में कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है । इस सुझाव को सही बताया कि वह उपरोक्त् ब्यौरा नहीं ला सकता है ।

36. अभियुक्तगण की ओर से और कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई ।

37. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया गया।

38. दौराने बहस अपर लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क रहे हैं कि पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

39. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण पीरसिंह, राणसिंह व रामसिंह की ओर से दौराने बहस निम्न तर्क रहे हैं किः–

(1) परिवादी पक्ष ने यह प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाया है, जबकि परिवादी पक्ष की ओर अभियुक्तगण पर हमला किया गया था और उसमें परिवादी पक्षकारान् भी आहत हुए थे ।

(2) परिवादी ने इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत मामले को गंभीर प्रकृति का बनाने के लिए घर के भीतर मारपीट होना दर्शाया है, जबकि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने बयानों में यह जाहिर किया है कि मकान के भीतर किसी भी प्रकार की लड़ाई–झगड़े के आलामात नहीं मिले थे, बल्कि खुले रास्ते पर झगड़ा हुआ था ।

(3) प्रकरण में अनुसंधन अधिकारी द्वारा जो नक्शा मौका बनाया गया है, उस नक्शा मौका के अनुसार अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह उस नक्शा मौका को ताईद नहीं करता है, अपितु अभियोजन के गवाहान, जो कि नक्शा मौका के गवाहान हैं, किसी अन्य स्थान के बारे में जिक्र करते हैं ।

(4) रामसिंह नामक अभियुक्त एफआईआर में नामजद नहीं है, न ही उसको अभियोजन के किसी मजरूबान या परिवादी द्वारा, जो कि पक्षकारान् आपस में पूर्व से रंजीश भी रखते थे और एक–दूसरे को जानते भी थे, तो ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना स्वतः ही यह दर्शित करता है कि रिपोर्ट बनावटी तथ्यों के आधार पर लिखवाई गई थी ।

(5) प्रकरण में लोहे के पाईप की बरामदगी की गई है, जबकि संपूर्ण प्रकरण में कमोबेश अभियोजन के गवाहान लोहे के लगिये/सरिये से मारपीट होना बताते हैं और एफआईआर में भी लोहे के लगिये और पाईप से वार होना बताया गया है ।

(6) प्रकरण में बोलेरो गाड़ी में मुलजिमान द्वारा बैठकर भाग जाना कथन किया गया है, जबकि अभियोजन के गवाह ने मौके से अभियुक्त को पुलिस के द्वारा पकड़कर ले जाना जाहिर किया है । साथ ही प्रकरण में स्कॉर्पियो गाड़ी की जब्ती की गई है, जबकि गवाहान बोलेरो गाड़ी में मुलजिमान का भाग जाना कहते हैं ।

(7) अभियोजन ने तगाराम और पुखराज के द्वारा बीच–बचाव करना बताया है और उस दौरान उन्हें चोट लगना जाहिर किया है, जबकि तगाराम और पुखराज के कोई भी चोट प्रतिवेदन पत्रावली में नहीं है और सौरम और भटाराम के चोट प्रतिवेदन हैं, लेकिन न तो एफआईआर में इस बात का जिक्र है और न ही उनके साथ मारपीट

होना बताया है और सौरम व भटाराम के चोट प्रतिवेदनों में न तो उनके हस्ताक्षर हैं और न ही सिवाना चिकित्साधिकारी का चोट प्रतिवेदन है । अपितु मोकलसर चिकित्साधिकारी का चोट प्रतिवेदन है और वह भी बिना किसी पुलिस की तहरीर नंबर या पुलिस प्रतिवेदन के बिना बनाए गये चोट प्रतिवेदन हैं ।

(8) अभियोजन पक्ष के गवाहान, जिनके समक्ष घटना से संबंधित जो सैंपल इकट्ठे किये गये थे, वे गवाहान पक्षद्रोही घोषित रहे हैं और पुलिस द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही को ताईद नहीं किया है ।

(9) अनुसंधान अधिकारी ने जिस पाईप की बरामदगी की है, वह खुले स्थान से की है और जिस स्थान से बरामदगी की है, उस स्थान का आधिपत्य अभियुक्तगण के पास रहा है, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं बताया है ।

(10) अभियोजन की ओर से अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस प्रकरण का जो नक्शा मौका, जो घटना के अगले दिन बनाया गया है और उस पर परिवादी के हस्ताक्षर है, जबकि परिवादी अपने कथनों में यह जाहिर करता है कि वह जोधपुर के अस्पताल में भर्ती था, तो गवाह किसी प्रकार दिनांक 07.01.2013 के रात्रि के 1 बजे एफआईआर में हस्ताक्षर करता है और यदि वह जोधपुर में भर्ती था, तो दिनांक 07.01.2013 को 5 बजे नक्शा मौका का गवाह कैसे हुआ । अतः यह प्रकरण पूर्णतया दबाव के तहत अनुसंधानरत रहा है और अनुसंधान अधिकारी द्वारा गलत रूप से अभियुक्तगण को विरचित किया गया है ।

(11) अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड. 13 बहादूरसिंह अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से खण्डन ही करता है और एक अभियुक्त की तो घटनास्थल पर उपस्थित ही नहीं बताता है ।

(12) कपड़ों की जब्ती करने वाले अभियोजन के गवाहन भी पक्षद्रोही हुए हैं और मुख्य अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल के पड़ौसियान के बयान नहीं लिये । दूरस्त व्यक्तियों को गवाह बनाया है और घटना के आलामात घर के बाहर होना जाहिर किये हैं ।

(13) गंभीर चोट के संबंध में किसी रेडियोलॉजिस्ट को परीक्षित नहीं करवाया गया है और न्यायालय के समक्ष परीक्षित विशेषज्ञ गवाहान ने यह स्वीकार किया है कि किसी

भी चोट प्रतिवेदन पर पुलिस प्रतिवेदन नंबर नहीं है तथा मजरूबान को किस पुलिस वाले ने पेश किया, वह आलेखित नहीं है और न ही चोट प्रतिवेदनों पर मजरूबान के हस्ताक्षर है ।

(14) अभियोजन की कहानी में कुछ गवाहान सभी के पोल के भीतर सोना बताते हैं, जबकि एफआईआरकर्ता स्वयं अकेला अमराराम भीतर होना बताता है । कुछ गवाहान ने तो जिस दिन बयान दिये हैं, उससे 3–4 साल पहले की घटना बताई है, जबकि उनके बयानों की तिथि से घटना 9–10 साल पुरानी थी ।

40. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त टीकमसिंह की ओर से यह तर्क रहे हैं किः– अभियोजन का गवाह पी.ड. 13 बहादूरसिंह, टीकमसिंह की उपस्थिति घटनास्थल पर नहीं बताता है और अभियोजन की ओर से परीक्षित किये गये गवाहान तगाराम, सौरभ कुमारी, पुखराज व भंवराराम में से किसी ने भी टीकमसिंह के द्वारा कोई कृत्य किया गया हो, उसका उल्लेख अपने धारा 161 के बयानों में नहीं किया है, जबकि सभी लोग पहले से आपस में एक–दूसरे से परिचित थे । अभियोजन का गवाह पी.ड. 13 बहादूरसिंह, टीकमसिंह को एसटीडी पीसीओ पर मौजूद होना बताता है और बचाव पक्ष की ओर परीक्षित गवाह डी.ड. 02 अकरमखाँ, जो कि रिपोर्टिंग व न्यूज पेपर का काम करता था, उसने भी टीकमसिंह को उस रात्रि को एसटीडी पीसीओ पर बैठा होना जाहिर किया है ।

41. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण पीरसिंह, राणसिंह, रामसिंह व टीकमसिंह ने संयुक्त रूप से यह तर्क दिये हैं कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से आपसी रंजीश थी और एक–दूसरे के विरुद्ध शिकायत इत्यादि करते रहते थे और उनके आपस में दो प्रकरणों में क्रोस केस भी दर्ज हुए हैं, जिसमें दोनों पक्षकारान् के चोट प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं, परंतु वे किस दिन की घटना के हैं, यह स्पष्ट नहीं है एवं प्रकरण में पूर्णतया संदिग्धता इस बात से भी आती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लोकदृष्टिगोचर होता हो और उसके सामने किसी प्रकार के जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली–गलौंच की गई हो, जिससे कि जातिसूचक शब्दों से किसी को अपमानित किया गया हो और ऐसी कोई घटना हुई, ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया है और कृत्यों के संबंध में जहाँ पर कि कोई कृत्य साबित ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एससी/एसटी एक्ट के वे प्रावधान जो कि कोई ऐसा कृत्य या अपराध के तहत घटित होने वाला अपराध हो जो कि यह जानते हुए कारित किया गया हो कि व्यक्ति एससी/एसटी का सदस्य है या उसका आशय यह रहा हो कि व्यक्ति एससी/एसटी है और

उस कारण से उनके साथ में मारपीट की गई हो, कोई भी घटना उल्लेखित नहीं है । अतः ऐसे में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3(i)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का अपराध संदेह परे प्रमाणित नहीं है ।

42. अंत में उपर्युक्त तर्कों के आधार पर अभियुक्तगण के अधिवक्तागण ने इस झूठे प्रकरण में गलत तथ्यों पर जो रिपोर्ट दायर की गई है, उस आधार पर सभी अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

43. प्रकरण के निस्तारण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:–

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 06.01.2013 को शाम के करीबन 8:30 बजे या उसके लगभग सरहद मौजा ग्राम रमणिया में स्थित परिवादी अमराराम के घर में रात्रि के समय अनधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कर अमराराम व मेघाराम के शरीर पर स्वैच्छया घोर उपहतियाँ कारित की और अमराराम, मेघाराम, भलाराम व सौरम के साथ कुंदाला से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की तथा अमराराम के साथ मारपीट कर बाएं हाथ में व मेघाराम के सिर पर अस्थिभंग कारित की और मेघाराम के सिर पर चोट ऐसे आशय से कारित की कि यदि आपके उक्त कृत्य से आहत की मृत्यु हो जाती, तो आप हत्या के दोषी होते और परिवादी अमराराम को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर उसे साशय ढेढ़, नीच, कमीण की जातिगत गालियाँ निकालकर अपमानित व अभित्रस्त किया और परिवादी अमराराम को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके घर में रात्रि के समय अनधिकृत रूप से प्रवेश कर दस वर्ष से अधिक दण्डनीय अपराध कारित किया ?

यदि हाँ, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या होगा ?

44. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्नानुसार है:–

45. हाजा प्रकरण में अभियुक्तगण पीरसिंह, राणसिंह, रामसिंह व टीकमसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 459, 323, 325, 307 भादंसं व 3(i)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट से विरचित किया गया है ।

46. प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी अमराराम के द्वारा दर्ज करवाई गई है, जो कि प्रदर्श पी. 08 है, जो कि दिनांक 07.01.2013 को रात्रि के 1 पीएम पर पुलिस थाना, सिवाना

द्वारा अपने रेकर्ड में इन्द्राज की गई है और उसकी कार्यवाही में यह उल्लेखित है कि प्रार्थी अमराराम पुत्र मोतीराम ने उपस्थित थाना होकर यह लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जिस पर उसे सही मानते हुए दर्ज किया गया और अग्रिम अनुसंधान श्रीमान सीओ वृत्त बालोतरा को सौंपा गया । प्रथमतः इस रिपोर्ट के दर्ज होने के संबंध में ही अत्यंत विरोधाभासी तथ्य सामने आते हैं । परिवादी अमराराम ने न्यायालय के समक्ष पी.ड. 07 के रूप में परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में यह जाहिर किया है कि जब घटना घटित हो गई थी, तो उसे सिवाना अस्पताल लेकर गये थे और सिवाना अस्पताल से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया था और फिर उसका इलाज जोधपुर में महात्मा गाँधी अस्पताल में चला था और जोधपुर के महात्मा गाँधी अस्पताल में वह 6–7 दिन तक भर्ती रहा था । ऐसे में यदि शाम के करीबन 8–8:30 बजे घटना घटित हुई हो और उसका भाई मेघाराम घटना घटित् होने के तुरंत बाद उसे सिवाना अस्पताल ले गया और वहाँ से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का जो समय रात्रि के 1 बजे बताया गया है, वह किस प्रकार से हो सकता है, क्या तो प्रार्थी अस्पताल में नहीं था और या फिर पुलिस वालों ने किसी अन्य व्यक्ति को अमराराम मानते हुए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके नाम से दर्ज की है, परंतु स्वयं अमराराम अपनी पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 में ए से बी हिस्से पर अपने हस्ताक्षर होना कहता है ।

47. इस संबंध में यदि प्रकरण में घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 06 का अवलोकन किया जाये, तो यह नक्शा मौका भी घटना होने के अगले दिन दिनांक 07.01.2013 को शाम के 5 पीएम पर कसीद किया जाना जाहिर होता है और इस बात की ताईद अनुसंधान अधिकारी भी करता है । नक्शा मौका प्रदर्श पी. 06 पर भी सी से डी स्थान पर अमराराम के हस्ताक्षर है, तो पुनः एक बार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अमराराराम दिनांक 07.01.2013 को जोधपुर के महात्मा गाँधी अस्पताल में भर्ती रहा था या नक्शा मौका जब बनाया गया, तब मौके पर मौजूद था । इस संबंध में एफआईआरकर्ता अमराराम के यह कथन कि वह अस्पताल में भर्ती था, स्वतः ही नक्शा मौका प्रदर्श पी. 06 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 दस्तावेजात अपने आप ही संदिग्धता की श्रेणी में आ जाते हैं और दस्तावेजों की एवज में मौखिक साक्ष्य हो कि इस ओर इंगित करती है कि परिवादी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर गलत बयानबाजी की है, अतः उनके बयान विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं । इस संदिग्धता के तत्पश्चात् रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 में जो तथ्य अंकित किये हैं कि घटना दिनांक 06.01.2013 को शाम के करीबन 8:30 बजे की बताई गई है, जबकि

अन्य आहत व्यक्ति जो कि मेघाराम है, जो न्यायालय के समक्ष पी.ड. 04 के रूप में हुआ और वह यह घटना रात्रि के 10 बजे की बताता है । इस संबंध में गवाह मेघाराम का चोट प्रतिवेदन जो कि प्रदर्श पी. 18 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसका अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि गवाह मेघाराम के शरीर तीन चोट बताई गई हैं और वह तीन चोट सिर के अग्र भाग पर, दाएं हाथ पर और नाक से खून आना बताया गया है । जबकि न्यायालय के समक्ष इस गवाह ने उपस्थित होकर अपने कंधों पर इशारा करके अपने कंधों पर चोट आना बताया है । अतः गवाह मेघाराम के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही जो चोट आना बताया है, वह चोट प्रतिवेदन में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है । ऐसे में इस प्रकरण में संदिग्धता और गहरा जाती है ।

48. इसके तत्पश्चात् गवाह मेघाराम ने अपना एक साफा और एक धोती जो कि खून से रंगी हुई थी, उसे जब्त करना बताया गया है और उसकी फर्द प्रदर्श पी. 07 पर अपना अंगूठा निशान भी अंकित होना बताया गया है । अनुसंधान के द्वारा साफा व धोती दिनांक 27.01.2013 को जब्त करना जाहिर किया गया है, जबकि गवाह पी.ड. 04 मेघाराम के द्वारा ऐसी कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है कि उसकी धोती और साफा किसी दिन जब्त किया गया । चूँकि यह व्यक्ति आहत था और घटना का चश्मदीद गवाह भी था, परंतु इसने स्वयं ने रात्रि के 10 बजे घटना का घटित होना बताया है और अभियुक्तगण राणसिंह, पीरसिंह व टीकमसिंह द्वारा लोहे के सरियों को लेकर आना बताया है, जबकि पुलिस के द्वारा ऐसा कोई भी लोहे का सरिया बरामद नहीं किया गया है । अपितु लोहे का पाईप बरामद किया गया है । इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति के और किस हथियार से चोट मारी, कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है । अतः अभियोजन पक्ष के इस गवाह ने घटना का कोई वृतांत न्यायालय के समक्ष इस प्रकार नहीं रखा कि जिससे उसकी बात पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सके । यह व्यक्ति अपनी जिरह में परिवादी अमराराम के घर के अंदर से वारदात का होना स्वीकार करता है, परंतु अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 21 रामेश्वरलाल ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 06 के अनुसार परिवादी के घर के अंदर घटना से संबंधित कोई भी आलामात नहीं थे । अतः अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान के दोरान इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की घटना घर के भीतर नहीं हुई थी । गवाह पी.ड. 06 मेघाराम यह जाहिर करता है कि अमराराम के घर के अंदर पकाराम, जसाराम, अमराराम, तगाराम, सुरेश वगैरह मौजूद थे, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 में परिवादी अमराराम कथन करता है कि वह

शाम के 8:30 बजे अपने घर पर बैठा था और इस प्रकार के लोगों का वहाँ पर उपस्थिति का कोई भी तथ्य जाहिर नहीं करता है । बल्कि अपनी रिपोर्ट में राह चलते मेघराम द्वारा उसका बीच–बचाव करना कहा है । अतः एक ओर तो मेघाराम यह जाहिर करता है कि वह घर के अंदर मौजूद था और दूसरी ओर स्वयं परिवादी अमराराम ने मेघाराम को अपनी घर में उपस्थित नहीं होना बताया है ।

49. प्रकरण में घटना के घटित होने के दरमियान गवाह पी.ड. 05 तगाराम भी यह जाहिर करता है कि व भी अपने घर पर था और घर के थोड़ी दूरी पर अमराराम के घर के भीतर गया तब उसने यह मारपीट होना जाहिर किया है और इस गवाह ने झगड़े का कोई भी कारण नहीं होना जाहिर किया है । इसी प्रकार गवाह पी.ड. 06 सौरभ कुमारी (सौरम) ने भी, जो कि पुखराज की पुत्री है, उसने भी अपने घर पर ही बैठा रहना कहा है । इस गवाह ने अपनी जिरह में घटना होने के समय को ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है । यह घटना दिनांक 06.01.2013 को सर्दियों के माह जनवरी की होना बताई गई है, जबकि गवाह सौरभ कुमारी (सौरम) ने अपनी जिरह में यह घटना उस समय की बताई है, जिस समय बाजरे और मूंग की फसल बोई हुई होती है और घटना के एक दिन पहले अपने खेत पर जाकर आना बताया है । गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उस उसकी शादी नई–नई हो रखी थी और वह श्रावन–भादो की वजह से अपने घर पर आई हुई थी । इस प्रकार गवाह श्रावन–भादो के माह की घटना होना जाहिर करती है, तो यह गवाह पूर्णरूपेण ही घटना का समय 4–5 महीने बाद का बताती है । गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया कि उसके साथ में हॉकी से मारपीट की गई थी और सबके साथ हॉकी से ही मारपीट की गई थी । अतः अन्य किसी गवाह ने हॉकी से मारपीट होना जाहिर नहीं किया है । अपितु लोहे के सरिये और लगिये से मारपीट होना बताया है । इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसका इलाज सिवाना में हुआ था और अपनी मुख्य परीक्षा में उसने अपना चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 07 होना बताया है । चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 07 का अवलोकन करने पर उसका चोट प्रतिवेदन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोकलसर का बना हुआ होना जाहिर होता है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में इस प्रकार के चोट प्रतिवेदन का इस घटना से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है । अतः यह गवाह भी जो कि चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुआ है, पूर्णरूपेण अविश्वसनीय प्रतीत होता है ।

50. यदि एकबारगी यह मान भी लिया जाये कि घटना घटित हुई होगी, तो ऐसे में आहत व्यक्ति का चोट प्रतिवेदन करने वाले गवाह पी.ड. 08 डॉ. शिवदत्त बोड़ा ने स्वयं को स्वास्थ्य केन्द्र मोकलसर में कार्यरत होना बताया है और उसी दिन पुखराज की पुत्री सौरभ कुमारी (सौरम) को चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 07 तैयार करना बताया है, परंतु किस व्यक्ति सौरभ कुमारी (सौरम) की पहचान की, यह स्पष्ट नहीं है । किस पुलिस कर्मचारी के प्रतिवेदन पर मजरूबा सौरभ कुमारी (सौरम) की चोटों का परीक्षण करवाया गया, यह स्पष्ट नहीं है । किस पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर चिकित्साधिकारी द्वारा चोटों का परीक्षण किया गया, यह भी चोट प्रतिवेदन पर उल्लेखित नहीं है । अतः घटना के समय में 3–4 महीने का अंतर होना और जिस व्यक्ति का चोट परीक्षण हुआ उसकी भी कोई पहचान नहीं होना, इस प्रकरण को पूर्णतया संदिग्धता की ओर ले जाता है ।

51. अभियोजन पक्ष के गवाहान पी.ड. 08 मोहनलाल, पी.ड. 15 मालाराम व पी.ड. 16 विशनाराम ने पक्षद्रोही घोषित रहे हैं । गवाह पी.ड. 10 भटाराम ने भी मौके पर दिनांक 06.01.2013 को मुलजिमान द्वारा एक गाड़ी में सवार होकर आना और अमराराम के घर में मारपीट करने की नियत से प्रवेश करना बताया है । जबकि अनुसंधान अधिकारी ने घर के भीतर कोई भी मारपीट के आलामात नहीं होना बताया है और यह गवाह बीच–बचाव करने के दौरान अपने चोटें आना जाहिर करता है, लेकिन उसका कोई भी डॉक्टरी मुआयना नहीं करवाना और परिवादी अमराराम के घर से लगभग आधा–एक किलोमीटर दूरी पर रहना बताया है ।

52. प्रकरण में कुछ गवाहान अभियुक्तगण द्वारा बोलेरो कैंपर लेकर आना कहते हैं, तो कुछ गवाहान बोलेरो लेकर आना कहते हैं । साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 में भी अभियुक्तगण द्वारा बोलेरो गाड़ी में बैठकर भाग जाना अंकित किया गया है । जबकि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया गया है, जो कि इस प्रकरण पर संदिग्धतता उत्पन्न करता है ।

53. गवाह पी.ड. 13 बहादूरसिंह जो कि अभियोजन पक्ष के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने तो दिनांक 06.01.2013 को टीकमसिंह को अपनी दुकान पर बैठा होना बताया है और रात्रि के 9 बजे के बाद टीकमसिंह का वहां से जाना बताया है और 7:30 से 9 बजे के दरमियान अकरमखाँ व टीकमसिंह दोनों उसकी दुकान पर बैठे होना बताया है । अतः यह गवाह अभियुक्त टीकमसिंह के किसी अन्यत्र स्थान पर मौजूद होने की गवाही देता है ।

54. चूँकि धोती और साफा जो कि खून से सने हुए थे, उनकी जब्ती जिन गवाहान के मध्य की गई, वे गवाहान पी.ड. 15 मालाराम व पी.ड. 16 विशनाराम हैं, जिन्होंने पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी को ताईद नहीं किया है और जिस व्यक्ति से जब्त किये गये उस व्यक्ति ने भी किसी दिन व स्थान पर धोती और साफा जब्त किया, उसका खुलासा नहीं किया है और अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 21 रामेश्वरलाल ने भी अपने मुख्य बयानों में धोती और साफा किस दिन जब्त किया, उसका कोई उल्लेख नहीं किया है, अपितु फर्द प्रदर्श पी. 07 जब्ती में जाहिर किया गया है । फर्द पब्ती धोती व साफा प्रदर्श पी. 07 में दिनांक 27.01.2013 को दोपहर के 2:30 पीएम बजे जब्त करना बताया गया है और जब्ती में यह तथ्य उल्लेखित किये हैं कि *"एक साफा बरंग सफेद एवं एक धोती बरंग सफेद दोनों पर जगह बजगह खून लगा हुआ जो वक्त वाका मजरूब मेघाराम के बदन पर पहने हुए होने से उक्त द्वारा पेश करने पर जरिये फर्छ हाजा के कब्जा पुलिस लिया गया"* और उक्त जब्ती के दोनों गवाहान पक्षद्रोही हो गये हैं और यह तथ्य कि वह साफा कब जब्त हुआ, उसके बारे में अनुसंधान अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कोई भी तथ्य अंकित नहीं किये हैं ।

55. इस प्रकरण में दौराने बहस यह भी तथ्य समक्ष आया कि दोनों पक्षकारान् के मध्य मनमुटाव था और किसी औरत की बात को लेकर मनमुटाव था, लेकिन उसके प्रमुख कारण उभरकर सामने नहीं आये हैं और जिस दिन की यह घटना बताई जाती है, उस घटना पर एफआईआरकर्ता और अन्य चश्मदीद गवाहान के बयानों में अत्यंत विरोधाभास है, जिससे इस घटना की दिनांक 06.01.2013 को घटित होने पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाता है ।

56. अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 19 नाथुसिंह ने यह स्वीकार किया है कि उसने जुगराज के बयान के अतिरिक्त कोई भी अनुसंधान नहीं किया और न ही इस प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार का कोई नक्शा मौका देखा गया । इसी प्रकार गवाह पी.ड. 20 अमृतलाल ने भी मात्र अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये हैं ।

57. इस प्रकरण की अनेक संदिग्धतता के उपरांत अनुसंधान अधिकारी जो इस प्रकरण में परीक्षित हुए, उनके द्वारा अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया गया है कि इस प्रकरण का पूरा अनुसंधान उनके द्वारा नहीं किया गया है और उनकी जानकारी में था कि इस प्रकरण का क्रोस केस भी दर्ज हुआ है और अनुसंधान अधिकारी ने यह भी जाहिर किया कि उनके द्वारा आलाय जरब बरामद नहीं किया गया था । अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल के पड़ौसियान कांतिलाल, जुंजाराम, अर्जुन के बयान भी नहीं लिये और ना ही घटना के संबंध

में पड़ौसियान से कोई अनुसंधान किया। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी की यह अत्यधिक खामी रही है कि इस प्रकार के रंजीश वाले मामलों में आस–पड़ौस के व्यक्तियों से कोई भी अनुसंधान नहीं किया गया। अनुसंधान अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि मालाराम और मोहनराम घटनास्थल के पड़ौसी नहीं हैं।

58. पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ्स के संबंध में अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण रूप से अनभिज्ञता जाहिर की है कि वे फोटोग्राफ्स किसके द्वारा खींचे गये, किसने प्रिंट निकलवाये और इन फोटोग्राफ्स को लेकर कोई भी अनुसंधान उनकी ओर से नहीं किया गया अनुसंधान अधिकारी ने जाति प्रमाण–पत्र की असल प्रति भी पत्रावली पर नहीं मौजूद होना जाहिर किया और सीडीआर की कोई फर्द विश्लेषण भी पेश नहीं की और अन्य मुलजिमान की सीडीआर और उनकी लॉकेशन भी उनके द्वारा नहीं ली गई। प्रकरण में जब्तसुदा वजह सबूत को संबंधित थाने के मालखाना में जमा करवाया गया, जिसके मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी. 10ए पत्रावली में संलग्न है, जिसका अवलोकन करने से जाहिर होता है कि उक्त मालखाना रजिस्टर पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है।

59. इसी प्रकार विशेषज्ञ गवाह पी.ड. 22 डॉ. विकास जोशी ने अपने बयानों में दिनांक 06.01.2013 को अमराराम व मेघाराम की चोटों की जाँच करना कहा गया है, परंतु अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि किसी भी चोट प्रतिवेदन पर मजरूबान के हस्ताक्षर नहीं है और प्रदर्श पी. 17 लगायत 21 दस्तावेजों पर किसी प्रकार के मजरूबान के पहचान संबंधी किसी भी तथ्य का अंकन नहीं किया गया है। गवाह यहां तक स्वीकार किया कि इन मजरूबान को कौन लेकर आया था, इस बात का भी अंकन नहीं किया है और ना ही उन मजरूबान को वह व्यक्तिगत रूप से जानता है और किसी व्यक्ति ने उनकी पहचान की और प्रकरण में रेडियोलॉजिस्ट भी उपस्थित नहीं आया है।

60. अन्य अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 23 रामवीर ने अपनी जिरह में इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि उसे एससी/एसटी एक्ट के तहत अनुसंधान करने का कोई भी अधिकार नहीं है और उसने लोहे के पाईप को बरामद किया था और उक्त पाईप पर भी खून, मानव चमड़ी, बाल इत्यादि नहीं लगे हुए थे और न ही पाईप पर ऐसा कोई पहचान चिह्न मौजूद था, जिससे यह दर्शित होता हो कि उक्त पाईप राणसिंह का हो और चूंकि यह तथ्य इस ओर इंगित कर रहे हैं कि क्या वाकई पाईप का इस घटना में इस्तेमाल हुआ था अथवा नहीं। जहाँ से उक्त पाईप की बरामदगी की गई थी, उस स्थान के स्वामित्व बाबत् कोई भी गिरदारवरी

रिपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं । यह गवाह स्वयं स्वीकार करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 08 में कांटछांट और ऑवर राईटिंग की गई है ।

61. गवाह पी.ड. 24 सुन्दरदेवी, जो कि परिवादी अमराराम की पत्नी है, वह तो इस घटना के दिन अपने पति अमराराम, उसकी लड़की ग्यारसीदेवी के साथ पोल में सोई हुई होना बताती है और कमरे में अलाप ताप रहे थे और पीरसिंह ने उसके सिर पर लाठी की चोट मारनी चाही, तब उसके पति ने हाथ आड़े किया, तो उसका हाथ टूट गया । इस गवाह ने कहीं पर भी घर पर आये व्यक्ति पीरसिंह, राणसिंह,टीकमसिंह और हंसुदेवी के द्वारा कोई भी जातिसूचक शब्दों से संबोधन किया हो या उन्हें इस प्रकार की गंदी और भद्दी गालियाँ दी हो, कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है और यह गवाह चश्मदीद गवाह के रूप में होते हुए स्पष्ट रूप से इंकार करती है कि मारपीट पाईप से नहीं हुई थी, अपितु लगिये से हुई थी और वह पाईप व लगिये में बखूबी अंतर जानती है ।

62. गिरफ्तारी के संबंध में गवाहान थाने पर ही बुलाना कहते हैं और वहीं से गिरफ्तारी होना कहते हैं । जहाँ तक कि अभियुक्त टीकमसिंह का इस प्रकरण में शामिल होने का प्रश्न है, तो वहाँ पर अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित हुए गवाह पी.ड. 13 बहादूरसिंह स्वयं ने यह जाहिर किया कि टीकमसिंह शाम के साढ़े सात बजे से नौ बजे तक उसकी दुकान पर मौजूद था और इस तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह डी.उ. 02 अकरमखाँ ने अपनी मुख्य परीक्षा में ताईद किया है और उसका कोई काट्य तथ्य जिरह में नहीं पूछा गया । यहाँ तक स्वयं अभियुक्त टीकमसिंह ने डी.ड. 01 के रूप में परीक्षित होकर अपने आपको वक्त घटना एसटीडी पीसी पर मेल करने के लिए जाना बताया है । इस गवाह ने इस घटना का प्रमुख कारण अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि वह सितम्बर माह वर्ष 1996 में सरकारी कम्पाउण्डर के पद पर सीएचसी समदड़ी में पदस्थापित था। वर्ष 1998 में उसका ट्रांसफर पीएचसी रमणिया में हो गया था। उस दरम्यिान ओमाराम मेघवाल, पंचायत समिति सिवाना में तत्कालीन प्रधान था एवं ओमाराम का सगा जीजा गोपाराम मेघवाल, जो उस समय सिवाना का विधायक था। ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी से प्रधान व विधायक थे। उस समय राज्य सरकार कांग्रेस की ही थी। इन लोगों ने रमणिया एवं मोकलसर में नौकरी करने हेतु वर्ष 2004 में रिश्वत के पैसे मांगे थे तथा रिश्वत न देने पर बांसवाड़ा ट्रांसफर की धमकी दी। फिर उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में इन दोनों की शिकायत की थी, जिसमें विधायक गोपाराम के विरूद्ध सीएनआर नंबर 09/2004 भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर में व प्रधान ओमाराम के

विरूद्ध सीएनआर नंबर 165/2004 भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर में प्रकरण दर्ज हुआ। उसके बाद उसकी इन दोनों से आपस में दुश्मनी हो गई। फिर उसके बाद में इन्होंने उसे निलंबित करवा दिया। फिर उसके बाद मुझे झूठे मुकदमें में फंसाकर बर्खास्त भी करवा दिया। फिर इन दोनों ने अपने रिश्तेदारों को आगे करके उस पर करीब 5 एससी/एसटी एक्ट के मुकदमें भी करवाये थे, जिसमें से तीन तो स्वयं उसके खिलाफ एवं दो अन्य प्रकरण जिसमें उसे शामिल करवाया था, जिसमें से तीन मुकदमों में एफआर तथा दो मुकदमों में उसके विरूद्ध चालान पेश हुआ था, जिसमें से यह एक प्रकरण भी शामिल है। इस प्रकरण में उसे गलत एवं झूठा फंसाया गया है, क्योंकि घटना वाले रोज वह सिवाना कस्बे में बहादुरसिंह की एसटीडी तथा ई–मित्र पर शाम के समय 7:30–9:30 बजे तक मेल करवाने के लिये गया हुआ था ।

63. अतः प्रकरण में जहाँ पर कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान उपस्थित हुए हैं, उन गवाहान ने कहीं पर भी इस घटना की सत्यता के संबंध में ऐसा कोई तथ्य जो कि आपस में परस्पर पर एक घटना को जोड़ते हो या एकरूपता लिये हुए हों, कतई नहीं हैं, अपितु सभी अभियोजन के गवाहान अपनी एक अलग कहानी बताते हैं, चूँकि नक्शा मौका में जो स्थान बताया गया है, उस स्थान को अभियोजन का कोई भी गवाह ताईद नहीं करता है और अनुसंधान अधिकारी ने उस स्थान का नक्शा मौका बनाया, बल्कि किसी अन्य स्थान पर घटना के आलामात होना जाहिर किया है ।

64. इस प्रकार न्यायालय के समक्ष आई उपर्युक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है, जिसमें रात्रि के समय घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर परिवादी पक्ष के साथ में मारपीट करना बताया गया है, जबकि अभियुक्तगण के उक्त उद्देश्य के संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने मना किया है कि घर के अंदर मारपीट से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई आलामात नहीं पाये गये हैं । विशेषज्ञ की रिपोर्ट में कहीं पर भी प्राणघातक चोट का उल्लेख नहीं है और मजरूबान के चोट प्रतिवेदनों पर कहीं पर भी यह दर्शित नहीं है कि मजरूबान के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किस पुलिस प्रतिवेदन पर किया गया और उन मजरूबान की पहचान किसने की, यह भी उल्लेख नहीं है । गवाह पी.ड. 13 बहादूरसिंह व डी.ड. 02 अकरमखाँ के कथनानुसार अभियुक्त टीकमसिंह मौके पर ही मौजूद नहीं था । गवाह पी.ड. 24 सुंदरदेवी के बयानों में कहीं पर भी अभियुक्तगण द्वारा लोकदृष्टिगोचर किसी स्थान पर जातिसूचक शब्दों से संबोधित

कर उन्हें अपमानित किया हो, ऐसी किसी भी घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है । अतः अभियुक्तगण पीरसिंह, राणसिंह, रामसिंह व टीकमसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 459, 323, 325, 307 भादंसं व 3(i)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–:: आदेश ::–

65. अतः अभियुक्त (1) पीरसिंह, (2) राणसिंह, (3) रामसिंह व (4) टीकमसिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 459, 323, 325, 307 भादंसं व 3(i)(x), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्तगण के न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण में जब्तसुदा माल, यदि कोई हो तो उसे बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे ।

(नीरज भामू)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बालोतरा ।

66. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित सुनाया गया ।

(नीरज भामू)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बालोतरा ।